/

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,
01, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पंत्राकः– 270 /वि0नि0/एच0क्यू0 /2013, दिनांक 08 मार्च 2013

समस्त मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन/तकनीकी)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून/नैनीताल/टनकपुर।

विषय :– चालक/परिचालकों हेतु परिश्रामिक एंव प्रोत्साहन योजना–2013 ।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की विभिन्न बसों में तैनात चालक/परिचालकों की कार्यक्षमता में वृद्धि तथा राजस्व वृद्धि को प्रोत्सहित किये जाने हेतु एक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जाये। इस प्रोत्साहन योजना को चालक/परिचालक प्रोत्साहन योजना–2013 कहा जायेगा, जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित शर्तों एवं मानकों के अधीन प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।

1. एजेन्सी के चालक/परिचालकों को भी संविदा एवं नियमित चालक/परिचालकों की ही भांति रात्रि भत्ता अनुमन्य किया जायेगा।

2. संविदा/एजेन्सी के जिन चालक/परिचालकों द्वारा **25 दिन ड्यूटी** करने के उपरान्त 5000 कि0मी0 मैदानी क्षेत्र में संचालन का कार्य किया जाता है तो उनको देय दर के अतिरिक्त रू0 1000 प्रोत्साहन राशि के रूप में पृथक से दिया जायेगा।

3. यदि संविदा/एजेन्सी के जिन चालक/परिचालकों द्वारा 25 दिन ड्यूटी करने के उपरान्त 6000 कि0मी0 मैदानी क्षेत्र में संचालन का कार्य किया जाता है तो उनको देय दर के अतिरिक्त रू0 1500 प्रोत्साहन राशि के रूप में पृथक से दिया जायेगा।

4. यदि संविदा/एजेन्सी के जिन चालक/परिचालकों द्वारा 25 दिन ड्यूटी करने के उपरान्त 3500 कि0मी0 पर्वतीय क्षेत्र में संचालन का कार्य किया जाता है तो उनको देय दर के अतिरिक्त रू0 1000 प्रोत्साहन राशि के रूप में पृथक से दिया जायेगा।

5. यदि संविदा/एजेन्सी के जिन चालक/परिचालकों द्वारा 25 दिन ड्यूटी करने के उपरान्त 4000 कि0मी0 पर्वतीय क्षेत्र में संचालन का कार्य किया जाता है तो उनको देय दर के अतिरिक्त रू0 1500 प्रोत्साहन राशि के रूप में पृथक से दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम
मुख्यालय, देहरादून
12/3/13